

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 126/2019

- 1 जगसीर सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जट सिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 सतपाल सिंह पुत्र तोता सिंह जाति जट सिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 सुखवीर कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जट सिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

अपार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट एवं राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955, के नियम

13


उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :-

- 1 श्री राकेश कुमार सिहाग अधिवक्ता (प्रार्थीगण)
- 2 राजपैरोकार

निर्णय

दिनांक :- 29.7.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 25 के एस डी "बी" खाता संख्या 25/20 में दर्ज कुल 5.060 है. आराजी में से प्रार्थी जगसीर सिंह पुत्र जगराज सिंह के नाम 1.181 है. आराजी दर्ज कागजात है, चक 25 के एस डी "बी" खाता संख्या 23/21 में कुल रकबा 0.253 है. आराजी प्रार्थी जगजीत सिंह के नाम दर्ज कागजात है, एव चक 25 के एस डी "बी" 35/32 में दर्ज कुल 2.783 है. आराजी में से प्रार्थी जगसीर सिंह के नाम 0.633 है. आराजी दर्ज कागजात माल है, चक 25 के एस डी "बी" खाता संख्या 17/74 में दर्ज कुल रकबा 5.819 है. आराजी में से प्रार्थी सतपाल सिंह के नाम 0.253 है. व प्रार्थी सुखवीर कौर के नाम 0.632 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी में से प्रार्थीगण के पास चक 25 के एस डी "बी" प.न. 60/105 मु.न. 30 कि.न. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 कुल 7 बीघा, प.न. 60/106 मु.न. 43 कि.न. 16, 17, 22, 23 कुल 4 बीघा, प.न. 60/104 मु.न. 27 कि.न. 24 कुल 1 बीघा आराजी पर कब्जा काशत चली आ रही है, जो कि प्रार्थीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काशत की उक्त आराजी नहर आने से सिंचित है एव नहरी कृषि भूमि है परन्तु राजसव रिकॉर्ड में उक्त रकबा बाराणी दर्ज कागजात माल है जिस कारण प्रार्थीगण को रकम अदायगी बैंक ऋण व राज्य सरकार द्वारा डिग्गी अनूदान का लाभ नहीं मिल पाता है एव प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

